

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(78)(वित्त-1)(1)आय व्ययक /2018/
कोषाधिकारी,
सचिवालय, जयपुर।

दिनांक ३०/३/२०२०

(स्वीकृति संख्या ८८ /2019-20)

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर परिषद/पालिकाओं को पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में विभागीय स्तर पर काटी गयी राशि का हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160) लेखा / डीएलबी / एसएफसी / 2017 / 32179-90 दिनांक 29.03.2020 (प्रति संलग्न) के अनुसार राशि रूपये 1930.62 लाख (अक्षरे रूपये उन्नीस करोड़ तीस लाख बासठ हजार मात्र) का निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये निम्नानुसार संबंधित निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण कर दिया जावे:-

जमा मद

गांग संख्या - 29 2217 - शहरी विकास 80 - सामग्र्य 192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान [01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 1328.62 लाख	कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तान्तरण योग्य राशि रूपये 1930.62 लाख
गांग संख्या - 51 [02] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 343.95 लाख	
गांग संख्या - 30 [03] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 260.05 लाख	
कुल राशि रूपये 1930.62 लाख	कुल राशि रूपये 1930.62 लाख

भवदीय

८३१३१८
(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक्क/लेखा परीक्षा-। राजस्थान, जयपुर।
- प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
- कार्यकारी निदेशक RUDSICO जयपुर।
- संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-III) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
- सुरक्षित पत्रावली।

८३१३१८
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाईट - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई-मेल - caodlb@gmail.com

टेलीफोन / फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/ ३२१८०

दिनांक : २९/३/२०२०

—:: स्वीकृति आदेश ::—

नगर परिषद/पालिकाओं को वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत द्वितीय किस्त की राशि में से विभागीय स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/ ३१९८१-३२१८० (स्वीकृति संलग्न) द्वारा विभागीय स्तर पर राशि रूपये 1930.62 लाख की कटौति की गयी है।

उक्त राशि रूपये 1930.62 लाख (अक्षरे रूपये उन्नीस करोड़ तीस लाख बासठ हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर (1110) के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए संबंधितों के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय भद्र

जमा भद्र

<p>मांग संख्या - 29 2217 - शहरों विकास 80 - सामाजिक 192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता [14] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान [01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 1326.62 लाख</p> <p>मांग संख्या - 51 [02] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 343.95 लाख</p> <p>मांग संख्या - 30 [03] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रूपये 260.05 लाख</p>	<p>कोष कार्यालय सचिवालय जयपुर (1110) में स्थित निम्न विभाग (क्रम संख्या 01 तक) के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत-</p> <p>01. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तान्तरण योग्य राशि</p> <p style="text-align: right;">कुल राशि रूपये 1930.62 लाख</p> <p>कुल राशि रूपये 1930.62 लाख</p> <p>कुल राशि रूपये 1930.62 लाख</p>
---	---

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 172000109
दिनांक 23.03.2020 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/ ३२१८०-९०

दिनांक : २९/३/२०२०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रूपये 1930.62 लाख सम्बन्धित निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी कराने हेतु।
2. कार्यकारी निदेशक, Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO) जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर परिषद/पालिकायें।
7. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
8. प्रभारी आई टी प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(उम्मेद सिंह)
वित्तीय सलाहकार